

दीन दयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सैदाबाद, प्रयागराज

प्राचार्य की कलम से

गंगा-यमुना-सरस्वती की पावन धरती पर स्थित यह महाविद्यालय प्रयागराज –वाराणसी जी0टी0 रोड पर प्रयागराज से लगभग 30 किमी0 दूर स्थित है। उच्च शिक्षा के इस मन्दिर की स्थापना का उद्देश्य यहाँ अध्ययनरत युवाओं का सर्वांगीण विकास करना है।

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित यह महाविद्यालय क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने एवं निखारने का कार्य करता है। कला तथा विज्ञान संकाय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर एवं वाणिज्य में स्नातक पाठ्यक्रम होने के साथ-साथ प्रयोगशाला के समस्त आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित इस महाविद्यालय में पुस्तकालय भी है जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तकों से परिपूर्ण है। उत्कृष्ट शिक्षण एवं समय-समय पर राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का आयोजन करके विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन एवं उनके अन्दर छिपी प्रतिभा का विकास किया जाता है।

महाविद्यालय को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में प्रध्यापकों की प्रतिभा, लगनशीलता एवं अनुशासन का सम्मिलित योगदान होता है। इस महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे समस्त प्राध्यापक योग्य एवं उच्च शिक्षित हैं। वे अपने अथक परिश्रम व अनुभव द्वारा छात्र-छात्राओं का निरन्तर अपेक्षित मार्गदर्शन एवं ज्ञान वर्द्धन कर रहे हैं।

प्रस्तुत विवरणिका में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्देशित नियम-निर्देशों, अनुशासन एवं गतिविधियों का पालन करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासित रहकर उत्तम जीवनशैली को अपनाकर चहुमुखी विकास करें। मानवता एवं सामाजिकता की भावना से परिपूर्ण होकर विद्यार्थी जीवन की समस्त भूमिकाओं में खरे उतरें एवं स्वयं के व अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकें।

इस महाविद्यालय में सभी नव-प्रवेशार्थी छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिवार की ओर से अनंत शुभकामनाएं एवं शुभाशीष।

प्रो0 आशीष जोशी
प्राचार्य

महाविद्यालय : एक परिचय

दीन दयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1999 में तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक एवं उच्च शिक्षा मंत्री, उ०प्र० सरकार डॉ० राकेशधर त्रिपाठी के अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई। तत्समय स्नातक स्तर पर बी०ए० एवं बी०एस—सी० तथा वर्ष 2007 में स्नातक स्तर पर बी०कॉम० एवं परास्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास तथा विज्ञान संकाय में जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं गणित में कक्षाएँ प्रारम्भ हुई। महाविद्यालय वर्तमान में प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज से सम्बद्ध है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 2एफ एवं 12बी के अन्तर्गत अनुमोदित है।

ग्रामीण अंचल का यह महाविद्यालय प्रयागराज—वाराणसी जी०टी० रोड पर प्रयागराज से 30 किमी० की दूरी पर पवित्र पावन त्रिवेणी प्रयाग एवं सांस्कृतिक नगरी वाराणसी के मध्य स्थित है। महाविद्यालय में कला एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएँ स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित हैं। महाविद्यालय में शिक्षण एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों के साथ ही छात्र—छात्राओं के रोजगार हेतु कैरियर गाइडेंस सेल, छात्राओं की सुरक्षा हेतु महिला हैल्पलाइन तथा गरीब एवं असहाय छात्र—छात्राओं के हेतु शासन की छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा उपलब्ध है।

महाविद्यालय शोध केन्द्र के रूप में स्थापित है जिसमें प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज में पी०एच०डी० पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत छात्र—छात्राओं को महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा शोध पर्यवेक्षण (Research Supervision) किया जाता है। महाविद्यालय में आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षण एवं ज्ञानार्जन प्रदान करने के निमित्त महाविद्यालय में दो सुसज्जित स्मार्ट क्लास स्थापित हैं (आगामी वर्षों में 06 और स्मार्ट क्लास स्थापित करने की योजना है)। जिनके माध्यम से इण्टरनेट एवं अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य कराया जाता है।

महाविद्यालय में सत्तु रूप से इनडोर एवं आउटडोर क्रीडा के क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक क्रीडा उत्सव में महाविद्यालय के छात्र—छात्राओं को विविध प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। महाविद्यालय परिवार का यह अटल विश्वास है कि यदि महाविद्यालय के विद्यार्थी मात्र शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न रहेंगे तो उनके व्यक्तित्व का एकांगी विकास होगा अतः व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए मन के साथ—साथ तन का स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसी दृष्टीकोण से महाविद्यालय में एक जिमनेशियम की स्थापना की गई है (जिसको विस्तारित किया जा रहा है) जिसमें व्यायाम के आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। इसी क्रम में महाविद्यालय में समय—समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा निबन्ध लेखन, पोस्टर निर्माण, स्लोगन लेखन, गायन, क्वीज आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं जिसमें विजयी प्रतिभागियों को वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत, अलंकृत तथा सम्मानित किया जाता है।

पाठ्य विषय

कला संकाय
(बी.ए.) (प्रथम सेमेस्टर)

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित
सीटों की संख्या – 420

वैकल्पिक विषय

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. संस्कृत साहित्य | 2. हिन्दी साहित्य |
| 3. अंग्रेजी साहित्य | 4. राजनीति विज्ञान |
| 5. इतिहास | 6. समाजशास्त्र |
| 7. शारीरिक शिक्षा | |

कला संकाय (एम.ए.)

(प्रथम सेमेस्टर)

प्रत्येक विषय में

सीटों की संख्या

- | | |
|--------------------|----|
| 1. हिन्दी | 60 |
| 2. राजनीति विज्ञान | 60 |
| 3. समाजशास्त्र | 60 |
| 4. इतिहास | 60 |

विज्ञान संकाय

(बी.एस.सी.) (प्रथम सेमेस्टर)

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित

सीटों की संख्या – 120

(बी.एस.सी. – गणित वर्ग)

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. भौतिक विज्ञान | 2. गणित |
| 3. रसायन विज्ञान/शारीरिक शिक्षा | |

(बी.एस.—सी. – बायो वर्ग)

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. जन्तु विज्ञान | 2. वनस्पति विज्ञान |
| 3. रसायन विज्ञान/शारीरिक शिक्षा | |

एम.एस.—सी. विज्ञान संकाय

(प्रथम सेमेस्टर)

प्रत्येक विषय में

सीटों की संख्या

- | | |
|--------------------|----|
| 1. भौतिक विज्ञान | 40 |
| 2. रसायन विज्ञान | 40 |
| 3. जन्तु विज्ञान | 40 |
| 4. वनस्पति विज्ञान | 40 |
| 5. गणित | 60 |

वाणिज्य संकाय

(बी.काम.) (प्रथम सेमेस्टर)

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित

सीटों की संख्या – 240

नवीन पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के अन्तर्गत प्रथम नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 से स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में लागू है तथा NEP-2020 के तहत संशोधित नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 से लागू किया जा रहा है। संशोधित नवीन पाठ्यक्रम 2024-25 के अन्तर्गत स्नातक अब 03 अथवा 04 वर्ष का होगा एवं जिन छात्रों ने 04 वर्षीय स्नातक पूरा किया होगा उनके लिए परास्नातक 01 वर्ष का होगा। नवीन 03/04 वर्षीय स्नातक में कोर्स के दौरान निकास एवं पुनः प्रवेश की सुविधा होगी। स्नातक के एक वर्ष पूर्ण करने के बाद निकासी पर स्नातक सर्टिफिकेट दिया जायेगा। द्वितीय वर्ष पूर्ण करने के बाद निकासी पर स्नातक डिप्लोमा देने का प्रावधान है तथा तीन वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक की डिग्री मिलेगी। जिन विद्यार्थीओं ने स्नातक स्तर पर छठवें सेमेस्टर तक कुल सी0जी0पी0ए0-7.5 (75%अंक) प्राप्त किये होंगे केवल वही विद्यार्थी चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित आनर्स) हेतु सातवें सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु अर्ह होंगे।

सी0जी0पी0ए0-7.5 (75% अंक) से कम पाने वाले विद्यार्थी भी चार वर्षीय स्नातक के लिये अर्ह होंगे किन्तु ऐसे विद्यार्थियों को सम्बन्धित संकाय में स्नातक (आनर्स) की उपाधि प्रदान की जायेगी। तीन वर्ष का स्नातक पूर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में स्नातक की उपाधि प्रदान की जायेगी। दो वर्षीय स्नातकोत्तर में प्रथम वर्ष पूर्ण करने पर परास्नातक डिप्लोमा दिया जायेगा। यदि कोई छात्र-छात्रा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 01 वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा अथवा 02 वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा प्राप्त कर किसी कारणवश छोड़कर जाना चाहे तो जा सकता है एवं बाद में एक निश्चित समयावधि के अन्दर वापस आकर पुनः उस कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। 03/04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अधिकतम 06/08 वर्ष तक प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की व्यवस्था होगी। अधिकतम अवधि समाप्त होने पर किसी भी अवस्था में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। द्विवर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रमों में यह अवधि 04 वर्ष की होगी।

तीन/चार वर्षीय स्नातक के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में 02 मुख्य विषय (मेजर) लेने के साथ 01 माइनर/इलेक्टिव (जिसे अपने संकाय अथवा किसी अन्य संकाय से लेना होगा।) विषय, 01 वैल्यू एडेड विषय (VAC) एवं 01 व्यवसायिक विषय (SEC) लेना अनिवार्य है। द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में भी 02 मुख्य विषय (मेजर) लेने के साथ 01 माइनर/ इलेक्टिव (जिसे अपने संकाय अथवा किसी अन्य संकाय से लेना होगा।) 01 सह पाठ्यक्रम विषय (AEC) एवं एक समर ट्रेनिंग विषय लेना अनिवार्य है। पाँचवें एवं छठवें सेमेस्टर में 02 मुख्य विषय (मेजर)/होंगे। सातवें एवं आठवें सेमेस्टर में 01 मुख्य विषय (मेजर)/सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम लेने के साथ 01 रिसर्च प्रोजेक्ट (शोध परियोजना) करना होगा। न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अन्तर्गत माइनर/इलेक्टिव विषय, वैल्यू एडेड विषय (VAC), व्यवसायिक विषय (SEC), सह-पाठ्यक्रम विषय (AEC) एवं समर ट्रेनिंग विषय के चयन व सीट की उपलब्धता हेतु जानकारी प्रवेश समितियों द्वारा प्रदान की जायेगी। NEP - 2020 के तहत स्नातक/परास्नातक स्तर पर कमशः प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर में तीन सतत् आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा (CIE) में प्रत्येक छात्र-छात्रा को सम्मिलित होना अनिवार्य है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. उ0प्र0 सरकार एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर बी.ए. के लिए कुल छात्र/छात्राओं की निर्धारित संख्या 360 है, बी.एस.सी. के लिए 240 है तथा बी.काम. के लिए 240 है। स्नातकोत्तर स्तर पर गणित विषय को छोड़कर प्रत्येक विषय में 40 सीट निर्धारित है जबकि गणित विषय में सीटों की कुल संख्या 60 निर्धारित है। योग्यता सूची के अनुसार ही विभिन्न विषयों में प्रवेश दिया जायेगा। स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश संशोधित पाठ्यक्रम 2024-25 जो NEP - 2020 के अनुसार है में किया जायेगा।
2. प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट में कम से कम 40 प्रतिशत, बी0एस-सी0 प्रथम वर्ष हेतु 45 प्रतिशत, बी.काम. प्रथम वर्ष हेतु 40 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य है। एम0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु बी0ए0 में न्यूनतम 40 प्रतिशत, तथा एम0एस-सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु बी0एस-सी0 में 45 प्रतिशत अंक (सैद्धान्तिक) होना चाहिए। सभी कक्षाओं, विषयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवेशार्थीओं के लिए केवल उत्तीर्णांक ही आवश्यक है।
3. विश्वविद्यालय के अनुसार स्नातक प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर केवल दो वर्ष का गैप एवं स्नातकोत्तर स्तर पर भी दो वर्ष का गैप मान्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी को अन्तराल अवधि का अन्तराल हेतु नोटरी का शपथपत्र (एफिडेविट) संलग्न करना होगा।
4. अनुशासनहीन विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
5. किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश बिना कारण बताए हुए प्राचार्य निरस्त या अस्वीकार कर सकते हैं।
6. उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अनुच्छेद 8 की धारा 45, उपधारा (4) के अन्तर्गत उस छात्र/छात्रा को जिसका व्यवहार एवं कार्य संदिग्ध व असंतोषजनक है, महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
7. उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 69 के अन्तर्गत किसी न्यायालय को विश्वविद्यालय और प्राचार्य द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी नियमों के मामलों में हस्ताक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
8. प्रवेशार्थी भलीभाँति विचार करके विषय का चयन करें तथा परीक्षा फार्म में वही विषय भरें जिसमें उनकी रुचि हो। परीक्षा फार्म भरने के पश्चात् विषय परिवर्तन संभव नहीं होगा।

9. शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमावली के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया जायेगा।
10. स्नातक स्तर पर साहित्यिक विषयों हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत में से दो से अधिक विषय नहीं लिये जा सकते हैं।
11. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना अथवा परीक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में अथवा अन्य संकाय की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
12. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो।
13. जिस छात्र पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा हो या दंड प्राप्त हुआ है उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
14. स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए योग्यता अनुक्रमणिका (इण्डेक्स) का निर्माण इन्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार किया जायेगा तथा स्नातकोत्तर (कला) स्तर पर मेरिट इण्डेक्स इन्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक (जिसमें सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के अंक ही जोड़े जायेंगे) के आधार पर किया जायेगा। इस महाविद्यालय एवं इस महाविद्यालय से सम्बन्धित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिभार दिया जायेगा।
15. गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर या अन्य त्रुटिपूर्ण कारणों से हुए प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा किया हुआ शुल्क आदि भी वापस नहीं किया जायेगा।
16. शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा समस्त छात्र/छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।

ऑनलाइन पूरित किये गये आवेदन पत्र निम्नलिखित संलग्नक सहित निर्धारित तिथि तक ही प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

1. हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा के अंक पत्र की छायाप्रति (स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशार्थियों के लिए स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के अंक पत्रों की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।)
2. हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. ए0बी0सी0 आई0डी0 एवं डीजी0 लॉकर के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
4. आरक्षित वर्ग के प्रवेशार्थी के लिए जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति। (क्षेत्र के उपजिलाधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा निर्गत)
5. व्यक्तिगत इन्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को किसी राजपत्रित अधिकारी/एम0पी0/एम0एल0ए0/एम0एल0सी0/नगर पालिका अध्यक्ष/जिला पंचायत अध्यक्ष/टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति देना होगा।
6. विकलांग प्रवेशार्थियों द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा।
7. अन्य प्रमाण पत्र अभ्यर्थी जिसका लाभ लेना चाहता है उदाहरणार्थ-राज्य स्तर का खेलकूद प्रमाण-पत्र, एन0सी0सी0 'सी0' अथवा 'बी0' प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री/नाती/पोता होने का प्रमाण पत्र।
8. अभिभावक का नवीनतम आय सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

9. प्रवेशार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
 10. प्रवेशार्थी के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
- –प्रवेश आवेदन पत्र के साथ समस्त संलग्नक मजबूत धागे से संलग्न करें।
 - –अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश प्रारम्भ होने पर अभ्यर्थी सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ **प्रवेश समिति के समक्ष निश्चित तौर पर स्वयं ही उपस्थित होगा।** प्रवेश के समय चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति (अन्तिम संस्था द्वारा निर्गत), स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) की मूल प्रति एवं स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0एस-सी0) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट (प्रवजन प्रमाण पत्र) की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

छात्र-छात्राओं के लिए विशेष निर्देश

1. समय-समय पर दी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचना के लिए विद्यार्थी अपने प्रध्यापकों के सम्पर्क में रहें, सूचनापट्ट का अवलोकन करते रहें एवं सम्बन्धित विभाग द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से सम्बद्ध रहें।
2. इस महाविद्यालय में पूर्णतः नकल विहीन परीक्षा कराई जाती है।
3. महाविद्यालय परिसर में शोर मचाना, चिल्लाना, सीटी बजाना, मोबाइल पर गाने बजाना, वाद्ययन्त्र बजाना, धूम्रपान करना, शिक्षण कक्षों के दरवाजे खटखटाना, व्याख्यान कक्षों से अथवा अन्य कहीं से कुर्सी लेकर बाहर बैठना, दीवारों पर थूकना गम्भीर अनुशासनहीनता है। ऐसे अनुशासनहीन आचरण के लिए छात्र/छात्राओं को निष्कासित किया जा सकता है।
4. परिचय पत्र खो जाने कि स्थिति में नया परिचय- पत्र प्राप्त करने के लिए परिचय-पत्र खोने की सूचना निकटस्थ थाने को दें तथा 10 रुपये के नोटरी हलफनामे (नान जूडिशियल) पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें तथा 100 रुपए महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर नया परिचय-पत्र प्राप्त करें।
5. महाविद्यालय में अध्ययन के उपरांत महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अन्दर छात्र-छात्राएँ कॉशन मनी प्राप्त करने हेतु आवेदन करके धनराशि प्राप्त कर लें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

शिक्षणेत्तर किया कलाप

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक पाठ्येत्तर क्रिया- कलाप संचालित किये जाते हैं, जिसमें छात्र/छात्राओं की अधिकतम भगीदारी आपेक्षित होती है।

क्रीड़ा परिषद:

छात्र/छात्राओं के शारीरिक विकास हेतु क्रीड़ा परिषद के अन्तर्गत एथलेटिक्स (फील्ड एवं ट्रेक) एवं टीम गेम्स का आयोजन किया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर क्रीड़ा के क्षेत्र में उत्कृष्ट खिलाड़ी छात्र/छात्राओं को अन्तर-विश्वविद्यालयीय एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। प्रत्येक अकादमिक वर्ष में वार्षिक खेल समारोह का आयोजन होता है जिसमें उत्कृष्ट छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है।

रोवर्स/रेंजर्स टीम

छात्र/छात्राओं को विभिन्न रचनात्मक कार्यों व सामूहिक कार्य कौशल में विकसित करने हेतु रोवर्स/रेंजर्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि वे एक व्यक्ति के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षमता प्राप्त कर सकें। रोवर्स/रेंजर्स शिविर में स्वास्थ्य परिचर्चा, टेंट निर्माण, शिविर जीवनशैली से अवगत कराने के साथ ही शिविरार्थियों के साथ अभ्यास सत्र भी आयोजित किये जाते हैं।

विभागीय परिषद

प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद होती है। छात्र/छात्राओं में से अनेक पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। इनके तत्वावधान में वाद-विवाद, निबन्ध, पोस्टर प्रतियोगिताएँ एवं विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं तथा वार्षिक समारोह में उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं।

विभिन्न विभागों द्वारा छात्र/छात्राओं का फ़ेशर एवं फेयरवेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

स्वच्छता एवं महाविद्यालय सौन्दर्यीकरण समिति

केन्द्र व राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से महाविद्यालय में स्वच्छता एवं महाविद्यालय सौन्दर्यीकरण समिति गठित की गई है जो छात्र/छात्राओं के सहयोग से स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से समय-समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

शोध अभिरूचि

NEP - 2020 के अनुसार स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में अब शोध-परक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयगराज के अन्तर्गत विभिन्न प्राध्यापकों को शोध पर्यवेक्षक (Ph.D-Supervisor) नियुक्त किया गया है। उपरोक्त के आलोक में शोध अभिरूचि उत्पन्न करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर शोध एवं विकास समिति (Research and Development Committee) गठित की गई है। महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को शोध करने एवं प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल्स में शोध-पत्र छपवाने हेतु प्रेरित किया जाता है। छात्र/छात्राओं हेतु सेमिनार/कॉन्फरेन्स का समय-समय पर आयोजन किया जाता है एवं उनको सक्रिय प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

महिला शिकायत निवारण समिति

महाविद्यालय में छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉ० सीमा जैन की अध्यक्षता में एक महिला शिकायत निवारण समिति गठित है। इसके अतिरिक्त महिला का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर महाविद्यालयी/कार्यालयी आन्तरिक प्रतिवाद समिति का भी गठन किया जा चुका है। आवश्यक हैल्पलाइन नं० निम्न है – विमेन पावरलाइन- 1090, महिला हेल्पलाइन – 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन – 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा – 112, चाइल्ड लाइन – 1098, स्वास्थ्य सेवा – 102 तथा एम्बुलेन्स सेवा – 108

एन०एस०एस०

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०) की एक इकाई कार्यक्रम अधिकारी डॉ० मारुति शरण ओझा के नेतृत्व में क्रियाशील है। जिसमें विशेष शिविर में प्रत्येक वर्ष 50 छात्र/छात्राओं का चयन होता है।

राष्ट्रीय पर्व

महाविद्यालय में सभी राष्ट्रीय पर्वों को हर्षोल्लास से मनाने की परम्परा है। इन कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति एवं सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। इन पर्वों पर सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। इन अवसरों पर विभिन्न प्रेरणादायी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। महापुरुषों की जयन्ती पर विविध प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

वार्षिकोत्सव

महाविद्यालय में दिनांक 15 अप्रैल 2023 वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रो० सुनन्दा चतुर्वेदी संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र० तथा विशिष्ट अतिथि डॉ० शुभा सिंह जोशी प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, धनुपुर, हण्डिया प्रयागराज रहीं।

इस अवसर पर विभागीय परिषद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विजयी विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया।

छात्रवृत्ति

उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को समाज कल्याण विभाग से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा उसकी प्रति के साथ शैक्षिक/जति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी एवं आय-प्रमाण-पत्र (केवल एस०डी०एम०/तहसीलदार द्वारा निर्गत) की मूल प्रति संलग्न कर महाविद्यालय में जमा करना होगा।

छात्रवृत्ति उसी छात्र/छात्रा को देय होती है, जिसकी उपस्थिति महाविद्यालय कक्षाओं में 75 प्रतिशत रहती है। किसी भी छात्र/छात्रा को केवल एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति दी जा सकती है।

पुस्तकालय

1. पुस्तकालय राजपत्रित, स्थानीय तथा सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त प्रत्येक दिवस में खुला रहेगा।
2. प्रवेश शुल्क रसीद पुस्तकालय में प्रस्तुत करके पुस्तकालय सदस्यता पत्रक प्राप्त किया जा सकेगा।
3. पुस्तकालय सम्बन्धी नियमों का पालन न करने पर सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
4. उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी।

- Uttar Pradesh Higher Education Digital Library
(<http://heecontent.upsdc.gov.in/Home.aspx>)

एवं

- भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी National Digital Library of india
(<https://iitkgp.ac.in>)

के माध्यम से विद्यार्थी अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.prsuprayagraj.in> पर उपलब्ध ई-लिंक (ई-पाठशाला एवं ई-कन्टेंट) द्वारा भी अतिरिक्त अध्ययन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

महाविद्यालय का यूनीफार्म

महाविद्यालय में प्रवेश के उपरान्त छात्र/छात्राओं को यूनीफार्म में आना अनिवार्य है। बिना गणवेश (यूनीफार्म) तथा बिना परिचय-पत्र महाविद्यालय में प्रवेश पूर्ण रूप से निषिद्ध है। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनीफार्म निम्नवत् है—

1. छात्र— सफेद शर्ट, स्लेटी/ग्रे पैन्ट (जीन्स नहीं), काला जूता (सर्दी के मौसम में काला स्वेटर/ब्लेजर)
2. छात्रा— स्लेटी/ग्रे कुर्ता, सफेद सलवार (चूड़ीदार नहीं), सफेद दुपट्टा, काला जूता (सर्दी के मौसम में काला स्वेटर/कार्डीगन)
3. कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रतिदिन मास्क व सैनिटाइजर के साथ भौतिक दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य है।

परिचय पत्र

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक के नेतृत्व में शास्ता मण्डल गठित है। महाविद्यालय में प्रवेश के तुरन्त पश्चात महाविद्यालय के मुख्य शास्ता से परिचय-पत्र प्राप्त करना होगा जिसे प्रतिदिन महाविद्यालय में साथ लाना अनिवार्य होगा।

पत्रिका

महाविद्यालय के ओर से वार्षिक पत्रिका 'निहारिका' का प्रकाशन होता है, जिसका मूल उद्देश्य छात्र/छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित एवं परिष्कृत करना होता है। प्रधान सम्पादक सूचना निर्गत कर छात्र-छात्राओं एवं प्राध्यापकों से पत्रिका में प्रकाशनार्थ सामग्री कहानी, कविता, लेख एवं निबन्ध आमंत्रित करता है।

महत्वपूर्ण समितियाँ

महाविद्यालय में अनुशासन, छात्र/छात्राओं के कल्याण एवं रोजगार हेतु शास्ता मण्डल, छात्र कल्याण समिति एवं रोजगार सलाहकार समिति तथा अन्य समितियाँ महाविद्यालय में क्रियाशील रहती हैं।

शुल्क सम्बन्धी अन्य नियम

1. शुल्क रसीद परीक्षा फार्म भरने हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य है। जमा किया शुल्क वापस नहीं होगा।
2. यदि शासन/विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के उपरान्त शुल्क में कोई वृद्धि की जाती है ऐसे अन्तर की धनराशि को बाद में जमा करना होगा।
3. छात्र/छात्रा द्वारा प्रयोगशाला में जान बूझकर अथवा असावधानीवश क्षतिग्रस्त उपकरण का मूल्य उनकी काशनमनी से काट लिया जाएगा, किन्तु क्षतिग्रस्त उपकरण का मूल्य अधिक होने पर उसकी धनराशि छात्र/छात्रा से वसूली की जाएगी।
4. किसी छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने पर उसकी क्षतिपूर्ति काशनमनी से या अलग से की जायेगी।
5. अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष से तीन वर्ष के अन्दर काशनमनी वापस प्राप्त कर लें अन्यथा आपका दावा मान्य नहीं होगा।

महाविद्यालय परिवार

प्रो० आशीष जोशी “प्राचार्य”

क्रम सं०	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम / विषय
01	डॉ० सीमा जैन	एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी)
02	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद सिंह	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य)
03	डॉ० सुरेन्द्र सिंह यादव	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास)
04	डॉ० संदीप कुमार सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान)
05	डॉ० जूही सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (वनस्पति विज्ञान)
06	डॉ० स्वाति चौरसिया	एसोसिएट प्रोफेसर (वनस्पति विज्ञान)
07	डॉ० रेखा वर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी)
08	डॉ० मारुति शरण ओझा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (गणित)
09	डॉ० संतोष सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (रसायन विज्ञान)
10	डॉ० जंगबहादुर यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र)
11	डॉ० यशवंत यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी)
12	डॉ० श्री प्रकाश	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (वाणिज्य)
13	डॉ० अवधेश कुमार यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (भौतिक विज्ञान)
14	डॉ० नीरज कुमार सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान)
15	डॉ० गरिमा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (रसायन विज्ञान)
16	डॉ० अजय यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत)
17	डॉ० अमित कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)
18	डॉ० रवि शंकर वाचस्पति गौतम	असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (जन्तु विज्ञान)
19	डॉ० विशालाक्षी सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान)
20	डॉ० प्रिया तिवारी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
21	डॉ० प्रज्ञा मिश्रा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इतिहास)
22	डॉ० प्रत्यंका पाण्डेय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इतिहास)
23	डॉ० माला श्रीवास्तव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी)
24	डॉ० जितेन्द्र कुमार सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
25	डॉ० प्रभात कुमार ओझा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)
26	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (गणित)
27	डॉ० प्रतिभा राय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (रसायन विज्ञान)

कर्मचारी

क्रम सं०	कार्यालय / पुस्तकालय	पदनाम
01	श्रीमती प्रवीणा श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक
02	श्रीमती ज्योति पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक
03	श्री राजेश कुमार	कार्यालय परिचर

प्रयोगशाला

क्रम सं०	कर्मचारी	पदनाम
01	श्री संजीव सिंह	प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान
02	श्री उमाशंकर यादव	प्रयोगशाला परिचर रसायन विज्ञान